

परियोजना निदेशक, वाराणसी के पत्र संख्या: 11015/5/पी0डी0 वाराणसी/रा0रा0 56 लेन/2015-16/17878 दिनांक: 16.05.2015 एवं पत्र संख्या: एन0एच0ए0आई0/दिनांक 12.08.2015 के अनुसार "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के नियम 30 (2) एवं (3) के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में दर का निर्धारण।

परिशिष्ट-3

ग्राम-दौदापुर, परगना-चांदा, तहसील-लम्भुआ जनपद-सुलतानपुर।

| अर्जित क्षेत्रफल | (अर्जित भूमि का) दर प्रति हेक्टेयर | प्रतिकर कालम(1X2) | परिसम्पत्तियों का विवरण (मूल्यांकन) | | योग (3+4+5) | फैक्टर कालम-3 का ग्रामीण क्षेत्र में दो गुना | भू0 अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-30(3) के अनुसार धारा-3ए के प्रकाशन तिथि 23.10.2012 से अभिनिर्णय की तिथि 21.04.2015 कुल 909 दिन का 12% अतिरिक्त प्रतिकर (कालम-6 पर | योग कालम(4+5+7) | प्रतिफल 100% कालम (09 का) | सम्पूर्ण योग कालम(8+9+10का) |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---|--|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | बृक्ष | भवन आदि | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 0.1790 | 1,54,00,000.00 | 27,56,600.00 | 2,39,050.00 | 13,94,953.00 | 43,90,603.00 | 27,56,600.00X2 =55,13,200.00 | 13,12,128.00 | 71,47,203.00 | 71,47,203.00 | 1,56,06,534.00 |
| 0.5312 | 65,00,000.00 | 34,52,800.00 | 1,89,960.00 | 28,70,714.00 | 65,13,474.00 | 34,52,800.00X2 =69,05,600.00 | 19,46,547.00 | 99,66,274.00 | 99,66,274.00 | 2,18,79,095.00 |
| 1.4520 | 35,00,000.00 | 50,82,000.00 | 4,16,960.00 | 19,17,530.00 | 74,16,490.00 | 50,82,000.00X2 =1,01,64,000.00 | 22,16,413.00 | 1,24,98,490.00 | 1,24,98,490.00 | 2,72,13,393.00 |
| 2.1622 | — | 1,12,91,400.00 | 8,45,970.00 | 61,83,197.00 | 1,83,20,567.00 | 2,25,82,800.00 | 54,75,088.00 | 2,96,11,967.00 | 2,96,11,967.00 | 6,46,99,022.00 |
| सम्पूर्ण योग=रु0 छ: करोड़, छियालीस लाख, निन्यान्बे हजार, बाइस मात्र। | | | | | | | | | | |

अध्याप्ति व्यय=64,69,902.00

पूँजीकृत मूल्य:-मालगुजारीx40गुना,
95.73X40=3,829.20 यानि 3,829.00
(रूपया तीन हजार आठ सौ उन्तीस मात्र)

(रामचन्द्र सरोज)

अपर उप जिलाधिकारी-सदर/सक्षम प्राधिकारी,
सुलतानपुर।

